



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग, कक्ष सं०-410, चतुर्थ तल, शक्ति भवन मुख्यालय)

### चौपहिया वाहन (कार इत्यादि) प्रवेश/पार्किंग हेतु निर्धारित प्रारूप-आवेदन पत्र (केवल अनुबन्धित वाहनों हेतु मान्य)

01. अनुबन्धित वाहन किस अधिकारी से सम्बद्ध है, उसका पूर्ण विवरण (नाम/पदनाम/तैनाती स्थल/निगम) :- .....
02. अनुबन्धित वाहन संस्था का नाम/पता :- .....
03. अनुबन्ध सं०/दिनांक एवं अवधि :- .....
04. अनुबन्धित वाहन का विवरण :- पंजीयन सं० ..... कम्पनी/मॉडल .....  
वाहन स्वामी का नाम/पता.....
05. वाहन चालक का नाम/लाइसेन्स सं०/निवास :- .....
06. यदि पूर्व में वाहन प्रवेश-पत्र निर्गत हुआ है तो उसकी सं० :- .....
07. निगमीय यातायात इकाई/कक्ष का नाम :- .....

मैं, घोषणा/प्रमाणित करता हूँ कि कि यातायात नियमों/शर्तों का पालन करते हुये शक्ति भवन परिसर में प्रवेश हेतु वैध प्रवेश-पत्र धारक द्वारा ही उल्लिखित वाहन का उपयोग किया जायेगा एवं निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन पार्क किया जायेगा।

दिनांक ..... स्थान .....

हस्ताक्षर .....  
नाम व पदनाम .....  
(मोहर सहित)

सत्यापित एवं अग्रसारित करने वाले  
अधिकारी के हस्ताक्षर  
(नाम व पद तथा मोहर)

- संलग्नक :- 01. निगमीय अनुबन्ध-पत्र की छायाप्रति सहित वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र (R.C)/ ड्राइविंग लाइसेन्स/आधार-कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।  
02. स्वयं के प्रवेश-पत्र (स्थायी अथवा अस्थायी) की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निर्देश :- 01. केवल हिन्दी में पूर्ण विवरण भरे हुये हस्ताक्षरित/अग्रसारित निर्धारित प्रारूप-पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।  
02. उपरोक्त प्रारूप-पत्र में बिन्दुवार इंगित विवरण/तथ्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रसारित अधिकारी का होगा।  
03. निर्धारित पार्किंग/समुचित स्थल पर वाहन पार्किंग न किये जाने पर वाहन प्रवेश-पत्र निरस्त करते हुये वाहन प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।  
04. वाहन प्रवेश-पत्र प्राप्त करने का समय अपराह्न 4:00 बजे से 5:00 बजे तक है। (कक्ष सं०-410, चतुर्थ तल)